न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 18/2018 नामान्तरकरण अपील

1. चांदकंवर पत्नि स्व. कानसिंह
2. पृथ्वीसिंह पुत्र कानसिंह
3. गोपाल कंवर पुत्र कानसिंह
4. गिरधरकंवर पुत्री कानसिंह
   समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम बहरावण्डा

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार सिकराय
2. तहसीलदार सिकराय उप तहसीलदार बहरावण्डा

रेस्पोडेन्ट्स

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील विरूद्ध आदेश उपतहसीलदार बहरावण्डा दिनांक 16.04.2018
जो कि नामान्तरकरण संख्या 63 वाके ग्राम बहरावण्डा पर पारित किया गया।

उपस्थिति :– 1. श्री योगेश जाकड अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित।
2. राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

–:निर्णय:–

दिनांक: २२ .10.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम बहरावण्डा की राजस्व सीमा में स्थित आराजी खसरा नं. 533, 556, 579, 604, 774, 796, 800, 1113 कुल किता 8 कुल रकबा 1.89 है0 भूमि स्थित है। जो कि अपीलार्थीगण की निजी सम्पत्ति है के सम्बन्ध में न्यायालय जागीर कमिश्नर द्वारा दिनांक 16.09.1966 को आदेश पारित कर उक्त भूमि अपीलार्थीगण के पूर्वज भूतपूर्व जागीरदार श्री कानसिंह की सम्पत्ति घोषित करते हुए अपने कब्जे में कायम रखने का निर्णय पारित किया गया जिसकी अनुपालना में अपीलार्थीगण आज दिन तक उक्त भूमि पर काबिज है। किन्तु जागीर आयुक्त राजस्थान के द्वारा पारित उक्त निर्णय की अनुपालना राजस्व रिकार्ड में नही की गई जिस पर प्रार्थी द्वारा तहसीलदार सिकराय के समक्ष जागीर आयुक्त जयपुर की अनुपालना करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर जिला कलक्टर महोदय द्वारा अपने पत्र क्रमांक 9443 दिनांक 02.11.2016 के द्वारा तहसीलदार सिकराय को इस आशय का निर्देश दिया गया की भूतपूर्व जागीरदार श्री कानसिंह बहरावण्डा के सम्बन्ध में जागीर आयुक्त राजस्थान जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.09.1966 यदि आज भी प्रभावी हो तो उक्त निर्णय के विरूद्ध किसी सक्षम न्यायालय में वाद/अपील/निगरानी/रिट याचिका दायर होकर स्थगन आदेश प्रचलित नही हो तो उक्त निर्णरू दिनांक 16.09.1966 के परिपेक्ष्य में नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर प्रगति से अवगत कराने की सुनिश्चितता करे। उक्त निर्देश की पालना में एवं तहसीलदार की आदेश की पालना मे हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण खोला जाकर उप तहसीलदार बहरावण्डा के समक्ष तस्दीक करने हेतु प्रस्तुत किया। किन्तु उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा जिला कलक्टर दौसा के पश्चातवर्ती पत्रांक 9343 दिनांक 02.11.2016 के निर्देश के विरूद्ध जिला कलक्टर दौसा के पूर्ववर्ती पत्रांक 712 दिनांक 03.02.2016 का

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

हवाला देते हुए विधि विरूद्ध तरीके से नामान्तरकरण खारिज कर दिया। उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा नामान्तरकरण सं. 63 ग्राम बहरावण्डा पर पारित आदेश दिनांक 16.04.2018 के विरूद्ध अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गयी। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलांट्स एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा बहस के दौरान अपील के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि ग्राम बहरावण्डा उप तहसील बहरावण्डा तहसील सिकराय में स्थित प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय जागीर आयुक्त राजस्थान जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.09.1966 की अनुपालना राजस्व रिकार्ड में नही किये जाने पर इस हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर जिला कलक्टर दौसा के पत्र क्रमांक 9443 दिनांक 02.11.2016 में दिये गये निर्देशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की बजाय जिला कलक्टर दौसा के पूर्ववर्ती पत्रांक 712 दिनांक 03.02.2016 का हवाला देते हुए विधिविरूद्ध तरीके से आदेश दिनांक 16.04.2018 द्वारा नामान्तरकरण सं. 63 वाके ग्राम बहरावण्डा को खारिज कर दिया गया। जबकि जिला कलक्टर महोदय दौसा के पत्र दिनांक 02.11.2016 के द्वारा दिये गये नवीनतम निर्देशानुसार कार्यवाही सम्पादित नही की गई। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर उप तहसीलदार बहरावण्डा का प्रश्नगत आदेश दिनांक 16.04.2018 को निरस्त फरमावे।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा जवाब बहस में निवेदन किया गया कि उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा प्रकरण का विधिक परीक्षण कराया जाकर उक्त प्रकरण में निर्णय परिसीमा अधिनियम से बाधित होने एवं न्यायालय के निर्णय की पालना बिना इजराय के नही किये जा सकने एवं प्रशासनिक कार्यवाही को उपयुक्त विधिसम्मत नही होने के कारण प्रश्नगत नामान्तरकरण खारिज किया गया है।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा प्रकरण में जागीर आयुक्त राजस्थान जयपुर का निर्णय परिसीमन अधिनियम से बाधित होने एवं न्यायालय के निर्णय की पालना बिना इजराय के नही किये जा सकने की स्थिति को मध्यनजर रखते हुए प्रश्नगत आदेश दिनांक 16.04.2018 पारित किया गया है। न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 16.04.2018 में कोई हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स द्वारा उप तहसीलदार बहरावण्डा के प्रश्नगत निर्णय दिनांक 16.04.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक २२ .10.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official